न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–131/2020
जी.सी..एम.एस. पोर्टल संख्या–2020/00167

बनाम

अपीलांट	**रेस्पोडेन्ट**
बलदेवराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी उचित मूल्य की दुकान, गठिया, तहसील मेड़ता जिला नागौर	राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील **श्री हनुमान फिड़ोदा।**
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) **श्री रामजीवन बेनीवाल।**

निर्णय **दिनांक–** 11-01-2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 36/2020 राज0 सरकार बनाम बलदेवराम में निर्णय दिनांक 30.07.2020 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के मयाद प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश किया। अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय से सूचना मिलते ही अपीलान्ट ने नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की है। निर्णय की सूचना दिनांक 20.08.2020 को मिलने पर नागौर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसकी नकल मिलने पर यह अपील पेश करने का निवेदन करते हुए प्रार्थी आवेदन स्वीकार कर आवेदन पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट की ओर प्रवर्तन अधिकारी अभियोजन ने बहस में अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ मयाद प्रार्थना व अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई किया जाना उचित होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर का आदेश जैर अपील निर्णय गलत, गैर कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित है।

3(1)–जिला रसद अधिकारी नागौर ने अपने निर्णय जैर अपील में अपीलान्ट को उचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया है जबकि अपीलान्ट ने सम्पूर्ण स्टॉक रजिस्टर की जॉच करवा दी थी तथा [illegible] गेहूं 86.65 [illegible] 5 किलो चीनी, 702.50 लीटर कैरोसीन की वितरण नहीं होने का आरोप लगाया है [illegible] है तथा उसके वितरण में अपीलान्ट ने मार्च 2020 में कोविड–19 महामारी के [illegible] सावधानी बरतते हुए राशन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है फिर भी लोक डाउन [illegible] चलते गरीब उपभोक्ताओं के पास मोबाईल नहीं होने तथा ओ.टी.पी. नहीं मिलने पर अपीलान्ट द्वारा बिना ओ.टी.पी. [illegible]जन लिखकर रजिस्टर में इन्द्राज कर गैंहू का वितरण किया। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा आ[illegible] रंजिश वश गैहूं नहीं मिलना बताया है उक्त सभी बाते अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष लिखित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

जबाब पेश किया था जिसका उल्लेख रसद अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 30.07.2020 में किया है।

3(2)—जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा लिखित जबाब को न मानने में भारी भूल की है। जबकि अपीलान्ट ने शुरू में ही जबाब पेश कर दिया था तथा दिनांक 04.04.2020 को मुकेश कुमार ने जो शिकायत जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष पेश की थी, उसने भी दिनांक 05.04.2020 को गेहूँ वितरण हो जाने से शिकायत वापिस ले ली थी तथा शिकायतकर्ता द्वारा राजीनामा भी पेश किया था, जिसको नहीं मानने में भूल की है।

3(3)—आरोप संख्या 1 निरीक्षण के वक्त दुकान बंद होने का आरोप लगाया गया है जबकि जबाब में लिखा है कि अपीलान्ट बिमारी की वजह से आवश्यक कार्यवाही होने के कारण थोड़ा देरी से पहूंचा तब तक जॉचकर्ता चला गया था जबकि शिकायतकर्ता तथा जॉचकर्ता अपीलान्ट को फोन पर या किसी मोटरसाईकिल सवार को भेजकर घर से बुला सकते थे एवं सूचना देकर उसके रूबरू जॉच करते तो सही नतीजे पर पहूँचते परन्तु मौके पर अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने झूठी शिकायत की व झूठे बयान दिये जो अपीलान्ट के कहने पर अपील भूल महसूस की तथा जिला रसद अधिकारी के समक्षम राजीनामा भी कर लिया था जो रेकर्ड पर उपलब्ध है, जिसका अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कहीं भी नहीं किया है।

3(4)— आरोप संख्या–2 मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचना का प्रदर्शन नहीं करना बताया गया तो यह स्वाभाविक है कि प्रार्थी दुकान पर पहूँचा ही नहीं एवं दुकान ही नहीं खुली तो स्टॉक व मूल्य बोड पर कैसे लिखी जाती थी यह कार्य तो अपीलान्ट दुकान पहूंचकर सर्वप्रथम यह कार्य करके दुकान पर लिखता है। यह कार्य प्रतिदिन सही स्टॉक मूल्य व तारीख अंकित करनी होती है, जो बाद में पहूंचकर दुकान खालते ही लिख दी थी एवं जबाब में इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया है। यह आरोप पूर्ण रूप से असत्य व गलत है।

3(5)—मौके पर किस व्यक्ति के बयान लिये कब लिये क्या लिए, ऐसा पत्रावली पर कहां भी उपलब्ध नहीं है। केवल महज वेग आरोप है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पूर्ण पालना की है। पोश मशीन में उपभोक्ताओं का मोबाईल नम्बर अंकित नहीं होने से रजिस्टर संधारण किया जाकर वितरण करने का प्रावधान होने से कोरोना काल में उपभोक्ता वंचित नहीं रहे उसको ध्यान में रखते हुए रजिस्टर संधारण कर उसमें पूरा विवरण अंकित करते हुए वितरण किया है, जो पेश कर दिया एवं उसका कारण भी जबाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है।

3(6)—कोरोना काल में नयी व्यवस्था लागू की गई थी एवं पोश मशीन में मोबाईल नम्बर उपभोक्ताओं के अंकित नहीं होने से तथा सामग्री समय पर वितरण करना आवश्यक होने से अल्प मात्रा में गैहूं, चीनी व कैरोसीन अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से रजिस्टर संधारण किया जाकर उसमें अंकित करते हुए वितरण किया है, जो रेकर्ड पर है उससे उन उपभोक्ताओं से जॉच की जा सकती है कि किसी प्रकार का कोई गबन नहीं पाया जाता है। एफ.आई.आर. पूर्ण रूप से गलत प्रस्तुत की है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

3(7)—माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.07.2020 तक निर्णय पेश करने का स्पष्ट आदेश नहीं है, उससे साफ है कि जहां तक संभव हो निर्णय दिनांक 30.07.2020 तक किया जावे। जब उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात कोई नोटिस भी नहीं दिया न ऐसी किसी प्रकार की कोई सूचना उत्तर व सबूत पेश करने हेतु दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा सबूत लिए बिना इकतरफा में आदेश करने का आदेश प्रदान नहीं करने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपील दिनांक 30.07.2020 को अपास्त करने अथवा पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.04.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का मौके पर निरीक्षण किया एवं फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की एवं उपस्थित उपभोक्ताओं के पर्चा बयान लिये गये जाकर रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत की जिस पर विभागीय प्रकरण संख्या 36 / 2020 दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस क्रमांक–451 दिनांक

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

6.04.20जारी किया, जिस पर अपीलान्ट ने तारीख पेशी दिनांक 18.06.2020 को जबाब प्रस्तुत किया एवं आगामी पेशी 15.07.2020 को नियत की गई। दिनांक 13.07.2020 को अपीलान्ट ने उपस्थित होकर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4944/2020 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.07.2020 की प्रति प्रस्तुत की, जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा आदेश क्रमांक–1295 दिनांक 13.07.2020 उक्त आदेश की पालना में जी.एस.एस. उ0मू0दू0 गठिया तहसील मेड़ता को अस्थाई कार्यभार उ0मू0दु0 गठिया(15064) का अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार गंठिया को सुपुर्द करने के निर्देश दिये एवं दिनांक 13.07.2020 को आगामी पेशी 15.07.2020 को नियत की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पुनः कारण बताओं नोटिस क्रमांक–1303 दिनांक 13.07.2020 जारी किया, जो अपीलान्ट स्वंय से तामील हुआ है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

4(1)—प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट के आधार पर उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध निम्न आरोप पाये गये–1. मौके पर वक्त निरीक्षण अपीलान्ट की दुकान उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान बंद पाई गई एवं दुकान बंद होने का कोई कारण सूचना पट्ट पर अंकन नहीं पाया गया। 2. मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। 3. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में बताया की अपीलान्ट द्वारा माह मार्च 2020 में ओटीपी व्यवस्था का दुरूपयोग कर उनके राशन कार्डो का गेहूँ उठा लिया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा उन्हे गेहूँ प्रदान नहीं किया है। 4. अपीलान्ट द्वारा प्रथम दृष्टया पोश मशीन नम्बर 15064 पर माह मार्च 2020 में ओटीपी की वैकल्पिक व्यवस्था बाईरिजन से 88.65 क्विं0 गेहूँ, 5 किलोग्राम चीनी व 702.50 लीटर केरोसीन का उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर दुरूपयोग किया है। अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत किया। परन्तु तत्पश्चात अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार गंठिया तहसील मेड़ता को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

4(2)—प्रकरण में उपर्युक्तानुसार आरोप संख्या–1. मौके पर वक्त निरीक्षण अपीलान्ट की दुकान उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान बंद पाई गई एवं दुकान बंद होने का कोई कारण सूचना पट्ट पर अंकन नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.06.2020 को प्रस्तुत जबाब में बताया कि मेरे आवश्यक कार्य होने से दुकान पहुंचने में देर हो गया जबकि हस्तगत अपील में अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट बिमारी की वजह से आवश्यक कार्यवाही होने के कारण थोड़ा देरी से पहुंचा तब तक जॉचकर्ता चला गया। अपीलान्ट ने बीमार होने एवं थोड़ी देरी से पहुंचने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में बिमारी का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार अपीलान्ट के जबाब एवं अपील में किये गये कथनों में विरोधाभाष है। अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील के साथ रजत हॉस्पिटल, जोधपुर चौकी के पास, मेड़ता सिटी डॉ0 अनिरूद्ध शर्मा की चिकित्सा पर्ची दिनांक 04.04.2020 अवश्य पेश की है, परन्तु उक्त चिकित्सा पर्ची के विरूद्ध ली गई दवाईयों की पर्ची प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट ने मात्र उक्त आरोप से बचने के लिए बाद में सोच विचार कर अपने बचाव हेतु कथन किये है, जो माने जाने योग्य नहीं है।

4(3)—आरोप संख्या–2. मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.06.2020 को प्रस्तुत जबाब में कथन किया कि अब मेरे द्वारा मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का निर्धारित प्रपत्र में प्रदर्शन कर दिया है जबकि अपीलान्ट ने अपील में कथन किया कि दुकान पहुंचते हुए अपीलान्ट ने स्टॉक व मूल्य बोर्ड पर लिख दी इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा एक ओर दुकान पहुंचते ही मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड अंकित करना बताया है वहीं दूसरी ओर जबाब दिनांक 18.06.2020 अनुसार अब मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन करना बताया है। इससे अपीलान्ट कथनों में स्पष्ट विरोधाभाष है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव में किया गया उक्त कथन माने जाने योग्य नहीं है।

4(4)— प्रकरण में उपर्युक्तानुसार आरोप संख्या–3. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में बताया की अपीलान्ट द्वारा माह मार्च 2020 में ओटीपी व्यवस्था का दुरूपयोग कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

उनके राशन कार्डों का गेहूँ उठा लिया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा उन्हे गेहूँ प्रदान नहीं किया है। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.06.2020 में कथन किया है कि मेरे द्वारा माह मार्च 2020 में बिना ओटीपी बाईरिजन कारण लिखकर रजिस्टर में इन्द्राज कर गेहूं का वितरण किया। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा आपसी रंजिशवशः गेहूं नहीं मिलना बताया है। अपील में अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि मौके पर किस व्यक्ति के बयान लिये कब लिये क्या लिए ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है केवल महज एक वेग आरोप है। पेश मशीन में उपभोक्ताओं का मोबाईल नम्बर अंकित नहीं होने से रजिस्टर संधारण कर उसमें पूरा विवरण अंकित करते हुए वितरण किया है, जो पेश कर दिया जाना बताया है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथनों के संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर निरीक्षण एवं जॉच के दौरान 10 उपभोक्ताओं के पर्चा बयान लिये गये, जिसमें मुकेश कुमार पुत्र ढ़गलाराम, मोतीलाल पुत्र सुगनाराम, रामअवतान पुत्र प्रभुराम, इन्द्रा पत्नी पुखराज, भीकाराम पुत्र मोडाराम, रामदेव पुत्र घेवरराम, गिरधारीलाल पुत्र बुद्धाराम, कमली पत्नी चुतराराम, लीला पत्नी बाबुलाल, अशोक पुत्र मूलाराम सभी निवासी गंठिया तहसील मेड़ता द्वारा अपने पर्चा बयानों में डीलर बलदेवराम द्वारा उनके राशन कार्ड पर गेहूँ उठाना परन्तु उन्हे नहीं देना बताया है।

4(5)— आरोप संख्या–4. अपीलान्ट द्वारा प्रथम दृष्टया पोश मशीन नम्बर 15064 पर माह मार्च 2020 में ओटीपी की वैकल्पिक व्यवस्था बाईरिजन से 88.65 क्विं0 गेहूँ, 5 किलोग्राम चीनी व 702.50 लीटर केरोसीन का उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर दुरूपयोग किया है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.06.2020 में कथन किया है कि माह मार्च 2020 में कोरोना की वजह से विभाग द्वारा ओटीपी से वितरण करने एवं ओटीपी नहीं आने पर बाईरिजन वितरण करने के निर्देश थे। यह व्यवस्था माह मार्च 2020 में लागू होने से उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होने से उपभोक्ता मोबाईल साथ नहीं लाने, कई सीमे बन्द होने तथा कोरोना में भीड़ न हो इसलिए रजिस्टर में संधारण कर बाईरिजन व्यवस्था से 88.65 क्विं गेहूँ, 5 किलोग्राम चीनी एवं 702.50 लीटर केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया। मेरे द्वारा उक्त राशन सामग्री का दुरूपयोग नहीं किया जाना बताया। अपील में भी अपीलान्ट द्वारा लगभग इसी प्रकार का कथन किया है। उक्त संबंध उल्लेखनीय है कि उक्त आरोप की पुष्टि 10 उपभोक्ताओ के द्वारा मौके पर दिये गये उपर्युक्तानुसार पर्चा बयानों से होती है। खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2020 के अनुसार कॉविड–19 महामारी के कारण सभी उपभोक्ताओं को उनके मोबाईल नम्बर पर ओटीपी नम्बर प्राप्त होने के पश्चात ओटीपी नम्बर पोश मशीन में दर्ज करना था। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में जिनमें तय समय पर ओटीपी लाभार्थी डीलर को उपलब्ध नहीं करवाता तो गेहूँ का वितरण पोश मशीन से दिया जायेगा एवं ऐसे सभी ट्राजक्शन का इन्द्राज एक रजिस्टर का संघारण कर रजिस्टर में किया जायेगी। जिसमें ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होने के कारणों का अंकन वितरण रजिस्टर में किया जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय जैर अपील में उल्लेख किया है कि डीलर द्वारा वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया। अपीलान्ट ने अपील के साथ गेहूँ वितरण के संबंध में राशन वितरण रजिस्टर की छाया प्रति प्रस्तुत की है। यदि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण रजिस्टर का संघारण किया गया था, तो निरीक्षण दिनांक 04.04.2020 को अथवा उसके पश्चात यथाशीघ्र अथवा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.06.2020 के साथ प्रस्तुत राशन वितरण रजिस्टर प्रस्तुत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अब अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ राशन वितरण रजिस्टर की प्रतियां सोच विचार कर उक्त आरोप से बचाव में पेश किया है, जो कतई माने जाने योग्य नहीं है। फुड एण्ड सिविल सप्लाई डीपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार के पोर्टल से [illegible] निकाली गई रिपोर्ट के अनुसार जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर के हस्ताक्षर है। [illegible] रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा गेहूँ, के अतिरिक्त 5 किलोग्राम चीनी, तथा 702.50 [illegible] केरोसीन का वितरण किया है, परन्तु उक्त वितरण के संबंध में कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने का कथन करते प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.04.2020 को अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार गंठिया का

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

मौके पर निरीक्षण किया एवं फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की एवं उपस्थित उपभोक्ताओं के पर्चा बयान लिये गये जाकर रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष पेश करने पर विभागीय प्रकरण संख्या 36/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6.04.20जारी किया, जिस पर अपीलान्ट ने तारीख पेशी दिनांक 18.06.2020 को जबाब प्रस्तुत किया एवं आगामी पेशी 15.07.2020 को नियत की गई।

5(1)—प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट के आधार पर उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध निम्न आरोप पाये गये–1. मौके पर वक्त निरीक्षण अपीलान्ट की दुकान उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान बंद पाई गई एवं दुकान बंद होने का कोई कारण सूचना पट्ट पर अंकन नहीं पाया गया। 2. मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। 3. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में बताया की अपीलान्ट द्वारा माह मार्च 2020 में ओटीपी व्यवस्था का दुरूपयोग कर उनके राशन कार्डों का गेहूँ उठा लिया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा उन्हे गेहूँ प्रदान नहीं किया है। 4. अपीलान्ट द्वारा प्रथम दृष्टया पोश मशीन नम्बर 15064 पर माह मार्च 2020 में ओटीपी की वैकल्पिक व्यवस्था बाईरिजन से 88.65 क्विं0 गेहूँ, 5 किलोग्राम चीनी व 702.50 लीटर केरोसीन का उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर दुरूपयोग किया है। अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत किया। परन्तु तत्पश्चात अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार गंठिया तहसील मेड़ता को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

5(2)—प्रकरण में उपर्युक्तानुसार आरोप संख्या–1. मौके पर वक्त निरीक्षण अपीलान्ट की दुकान उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान बंद पाई गई एवं दुकान बंद होने का कोई कारण सूचना पट्ट पर अंकन नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.06.2020 को प्रस्तुत जबाब में बताया कि मेरे आवश्यक कार्य होने से दुकान पहुंचने में देर हो गया जबकि हस्तगत अपील में अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट बिमारी की वजह से आवश्यक कार्यवाही होने के कारण थोड़ा देरी से पहुंचा तब तक जॉचकर्ता चला गया। अपीलान्ट ने बीमार होने एवं थोड़ी देरी से पहुंचने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में बिमारी का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार अपीलान्ट के जबाब एवं अपील में किये गये कथनों में विरोधाभाष है। अपीलान्ट द्वारा रजत हॉस्पिटल, जोधपुर चौकी के पास, मेड़ता सिटी डॉ0 अनिरूद्ध शर्मा की चिकित्सा पर्ची दिनांक 04.04.2020 अवश्य पेश की है, परन्तु उक्त चिकित्सा पर्ची के विरूद्ध ली गई दवाईयों की पर्ची प्रस्तुत नहीं की है, जो सन्देहजनक प्रतीत होती है। इस प्रकार अपीलान्ट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट ने मात्र उक्त आरोप से बचने के लिए बाद में सोच विचार कर अपने बचाव हेतु कथन किये है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5(3)—आरोप संख्या–2. मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.06.2020 को प्रस्तुत जबाब में कथन किया कि अब मेरे द्वारा मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का निर्धारित प्रपत्र में प्रदर्शन कर दिया है जबकि अपीलान्ट ने अपील में कथन किया कि दुकान पहुंचते हुए अपीलान्ट ने स्टॉक व मूल्य बोर्ड पर लिख दी थी। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा एक ओर दुकान पहुंचते ही मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड अंकित करना बताया है वहीं दूसरी ओर जबाब दिनांक 18.06.2020 अनुसार अब मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन करना बताया है। इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त कथन विरोधाभाषी है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

5(4)—आरोप संख्या–3. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में बताया की अपीलान्ट द्वारा माह मार्च 2020 में ओटीपी [illegible] का दुरूपयोग कर उनके राशन कार्डों का गेहूँ उठा लिया है, जबकि अपीलान्ट [illegible] प्रदान नहीं किया है। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.06.2020 में कथन किया है कि मेरे द्वारा माह मार्च 2020 में बिना ओटीपी बाइरिजन कारण लिखकर रजिस्टर में इन्द्राज कर गेहूं का वितरण किया। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा आपसी रंजिशवशः गेहूं नहीं मिलना बताया है। अपील में अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि मौके पर किस व्यक्ति के बयान लिये कब लिये क्या लिए ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है केवल महज एक वेग आरोप है। पेश मशीन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपभोक्ताओं का मोबाईल नम्बर अंकित नहीं होने से रजिस्टर संधारण कर उसमें पूरा विवरण अंकित करते हुए वितरण किया है, जो पेश कर दिया जाना अपीलान्ट द्वारा बताया गया है। उक्त संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर निरीक्षण एवं जॉच के दौरान 10 उपभोक्ताओं के पर्चा बयान लिये गये, जिसमें मुकेश कुमार पुत्र ढ़गलाराम, मोतीलाल पुत्र सुगनाराम, रामअवतार पुत्र प्रभुराम, इन्द्रा पत्नी पुखराज, भीकाराम पुत्र मोडाराम, रामदेव पुत्र घेवरराम, गिरधारीलाल पुत्र बुद्धाराम, कमली पत्नी चुतराराम, लीला पत्नी बाबुलाल, अशोक कुमार जोशी पुत्र मूलाराम सभी निवासी गंठिया तहसील मेड़ता द्वारा अपने पर्चा बयानों में डीलर बलदेवराम द्वारा उनके राशन कार्ड पर गेहूँ उठाना परन्तु उन्हे नहीं देना बताया है।

5(5)— आरोप संख्या–4. अपीलान्ट द्वारा प्रथम दृष्टया पोश मशीन नम्बर 15064 पर माह मार्च 2020 में ओटीपी की वैकल्पिक व्यवस्था बाईरिजन से 88.65 क्विं0 गेहूँ, 5 किलोग्राम चीनी व 702.50 लीटर केरोसीन का उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर दुरूपयोग किया है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.06.2020 में कथन किया है कि माह मार्च 2020 में कोरोना की वजह से विभाग द्वारा ओटीपी से वितरण करने एवं ओटीपी नहीं आने पर बाईरिजन वितरण करने के निर्देश थे। यह व्यवस्था माह मार्च 2020 में लागू होने से उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होने से उपभोक्ता मोबाईल साथ नहीं लाने, कई सीमें बन्द होने तथा कोरोना में भीड़ न हो इसलिए रजिस्टर में संधारण कर बाईरिजन व्यवस्था से 88.65 क्विं गेहूँ, 5 किलोग्राम चीनी एवं 702.50 लीटर केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया। मेरे द्वारा उक्त राशन सामग्री का दुरूपयोग नहीं किया जाना बताया। अपील में भी अपीलान्ट द्वारा लगभग इसी प्रकार का कथन किया है। उक्त संबंध उल्लेखनीय है कि उक्त आरोप की पुष्टि 10 उपभोक्ताओ के द्वारा मौके पर दिये गये उपर्युक्तानुसार पर्चा बयानों से होती है। खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2020 के अनुसार कॉविड–19 महामारी के कारण सभी उपभोक्ताओं को उनके मोबाईल नम्बर पर ओटीपी नम्बर प्राप्त होने के पश्चात ओटीपी नम्बर पोश मशीन में दर्ज करना था। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में जिनमें तय समय पर ओटीपी लाभार्थी डीलर को उपलब्ध नहीं करवाता तो गेहूँ का वितरण पोश मशीन से दिया जायेगा एवं ऐसे सभी ट्राजक्शन का इन्द्राज एक रजिस्टर का संघारण कर रजिस्टर में किया जायेगा। जिसमें ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होने के कारणों का अंकन वितरण रजिस्टर में किया जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय जैर अपील में उल्लेख किया है कि डीलर द्वारा वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया। अपीलान्ट ने अपील के साथ गेहूँ वितरण के संबंध में राशन वितरण रजिस्टर की छाया प्रति प्रस्तुत की है। यदि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण रजिस्टर का संघारण किया गया था, तो निरीक्षण दिनांक 04.04.2020 को अथवा उसके पश्चात यथाशीघ्र अथवा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.06.2020 के साथ प्रस्तुत राशन वितरण रजिस्टर प्रस्तुत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अब अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ राशन वितरण रजिस्टर की प्रतियां सोच विचार कर उक्त आरोप से बचाव में पेश किया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में फुड एण्ड सिविल सप्लाई डीपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार के पोर्टल से ऑनलाईन निकाली गई रिपोर्ट के अनुसार जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर के हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा गेहूँ, के अतिरिक्त 5 किलोग्राम चीनी, तथा 702.50 लीटर केरोसीन का वितरण किया है, परन्तु उक्त वितरण के संबंध में कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत होने से निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर